

पीठासीन अधिकारी :- यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या 95/2017

1. धर्मेन्द्र पुत्र श्री वेदप्रकाश जाति जाट निवासी 501 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

-- वादी

--:: बनाम ::--

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री सुलतान राम जाति जाट साकिन 501 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कंचन पुत्री श्री वेदप्रकाश जाति जाट साकिन 501 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत विभाजन एवम् खातेदारी
अधिकारों की घोषणा

--:: उपस्थित अभिभाषक ::--

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता वादी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2
3. पैरोकाराज



--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 02.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 वेदप्रकाश के नाम से चक 501 एल.एन.पी. के खाता संख्या 23/16 का मुरब्बा नम्बर 35, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54 की कुल 11.345 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से संयुक्त खाता में 1/4 हिस्सा यानि 2.836 हैक्टर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी को अपने पिता के देहान्त के पश्चात विरासत में प्राप्त हुई है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 तथा वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं तथा जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उसने अपना हिस्सा वादी को देने का कहा हुआ है।

इस प्रकार से उक्त 2.836 हैक्टर कृषि भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा वादी के साथ करके घरू बंटवारा के अनुसार वादी को 1.265 हैक्टर नहरी कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, जिस पर

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काशत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में मेहनत करके सुधार कार्य करवाया है।

यह कि कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 15.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :-

1. चक 501 एल.एन.पी के खाता संख्या 23/16 का मुरब्बा नम्बर 35, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54 की कुल 11.345 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 2.836 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर कृषि भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 02.06.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री रोबिन गुम्बर अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई मनमुटाव नहीं रहा है तथा पंचायत द्वारा वादी एवम् प्रतिवादी की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर लिया है तथा बंटवारा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी को निम्न प्रकार से भूमि प्राप्त हुई है :-

1. वादी धर्मेन्द्र का हिस्सा :- चक 501 एल.एन.पी. के खाता संख्या 23/16 का मुरब्बा नम्बर 35, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54 की कुल 11.345 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 2.836 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 1 वेदप्रकाश का हिस्सा :- चक 501 एल.एन.पी के खाता संख्या 23/16 का मुरब्बा नम्बर 35, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54 की कुल 11.345 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 2.836 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.571 हैक्टर भूमि।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर यह राजीनामा किया है। प्रतिवादी संख्या 2 अपनी स्वेच्छा से अपनी पैतृक भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने अपने हिस्सा का हक परित्याग अपने पिता व भाई के पक्ष में यानि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष करती हैं। अतः उक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उजर वा एतराज ना होगा।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

AR/3

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय हेतु आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होने से तनकियात नहीं बनाई गई। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किये जानें पर चक 501 एल.एन.पी. के खाता संख्या 23/16 का मुरब्बा नम्बर 35, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54 की कुल 11.345 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 2.836 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की विरास्तन भूमि होने के कारण तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी धर्मेन्द्र को चक 501 एल.एन.पी. के खाता संख्या 23/16 का मुरब्बा नम्बर 35, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54 की कुल 11.345 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 2.836 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 वेदप्रकाश को चक 501 एल.एन.पी के खाता संख्या 23/16 का मुरब्बा नम्बर 35, 36, 45, 46, 47, 48, 53, 54 की कुल 11.345 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 2.836 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1.571 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 02.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चक महाराजका के मजमे आम में सुनाया गया।



(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर